सं.111011/5/2022-रा.भा.ए.

भारत सरकार

शिक्षा मंत्रालय

उच्चतर शिक्षा विभाग

राजभाषा प्रभाग

शास्त्री भवन, नई दिल्ली-110001

दिनांकः 04 फरवरी, 2021

कार्यालय ज्ञापन

विषय: माननीय प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में केंद्रीय हिंदी समिति की 32वीं बैठक का आयोजन-अद्यतन कार्रवाई रिपोर्ट भेजने के संबंध में ।

सभी संबंधितों का ध्यान सचिव, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय द्वारा सचिव (उच्चतर शिक्षा), शिक्षा मंत्रालय को लिखे गए दिनांक 31.12.2021 के अर्ध शासकीय पत्र सं. 20017/01/2019-रा.भा.(नीति) (प्रति संलग्न) की ओर आकृष्ट किया जाता है जिसमें सूचित किया गया है कि माननीय प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में केंद्रीय हिंदी समिति का दिनांक 09.11.2021 को पुनर्गठन किया जा चुका है और इसकी अगली अर्थात् 32वीं बैठक माननीय प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में शीघ्र ही आयोजित की जाएगी। चूंकि इस समिति की पिछली अर्थात् 31वीं बैठक के आयोजन के बाद लगभग 2 वर्ष का समय बीत चुका है, अतः राजभाषा विभाग ने उक्त 31वीं बैठक के कार्यवृत्त पर की गई अद्यतन अनुवर्ती कार्रवाई से अवगत करवाने का अनुरोध किया है।

2. उल्लेखनीय है कि माननीय प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में गठित केंद्रीय हिंदी समिति एक शीर्षस्थ समिति है जो नीति-निर्धारण में बड़े स्तर पर मार्ग-दर्शन उपलब्ध कराती है और संघ की राजभाषा नीति को लागू करने के लिए अंतर- मंत्रालय और अंतर-विभागीय समन्वय सुनिश्चित करते हुए राजभाषा हिंदी के सवंर्धन के बारे में लिए गए निर्णयों के कार्यान्वयन का पर्यवेक्षण भी करती है। इस समिति के उपाध्यक्ष माननीय गृह मंत्री जी होते हैं और वर्तमान में इसके सदस्यों में माननीय गृह राज्य मंत्री (गृह मंत्रालय में राजभाषा प्रभारी), स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री, शिक्षा मंत्री, विधि और न्याय मंत्री, इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री, महिला एवं बाल विकास मंत्री, ग्रामीण विकास मंत्री तथा विदेश मंत्रालय एवं संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री के साथ-साथ 06 राज्यों नामशः उत्तराखंड, महाराष्ट्र, असम, ओड़िशा, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के मुख्यमंत्री तथा सचिव, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय शामिल हैं। संसदीय राजभाषा समिति के उपाध्यक्ष और इसकी तीनों उप-समितियों के संयोजक भी इसके पदेन सदस्य हैं।

3. उपरोक्त के आलोक में, शिक्षा मंत्रालय के सभी ब्यूरो/नियंत्रणाधीन कार्यालयों/शैक्षिक संस्थाओं आदि से अनुरोध है कि वे माननीय प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय हिंदी समिति की 31वीं बैठक के कार्यवृत्त पर अद्यतन कृत कार्रवाई रिपोर्ट अतिशीघ्र मंत्रालय को भिजवा दें ताकि इस विषय पर राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय को यथाशीघ्र एक समेकित कृत कार्रवाई रिपोर्ट भिजवाई जा सके ।

(सैय्यद इक़राम रिजवी)
संयुक्त सचिव, भारत सरकार

सेवा में,

शिक्षा मंत्रालय के सभी नियंत्रणाधीन कार्यालयों के प्रशासनिक प्रमुख ।

FCS-990124/2021/Secy(HE)

(1)

अंशुली आर्या, आई.ए.एस.
सचिव
ANSHULI ARYA, I.A.S.
Secretary

सत्यमेव जयते

आज़ादी का अमृत महोत्सव

भारत सरकार
राजभाषा विभाग
गृह मंत्रालय
GOVERNMENT OF INDIA
DEPARTMENT OF OFFICIAL LANGUAGE
MINISTRY OF HOME AFFAIRS

अं. शा. पत्र सं.20017/01/2019-रा॰भा॰(नीति) दिनांक: 31 दिसंबर, 2021

प्रिय संजय

कृपया शिक्षा मंत्रालय के पत्र सं॰ एच-11011-1/2019-रा॰भा॰ए॰ दिनांक 10.07.2019 का अवलोकन करें (प्रतिलिपि संलग्न) जिसके द्वारा माननीय प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में गठित केंद्रीय हिंदी समिति की 31वीं बैठक के कार्यवृत्त पर आपके मंत्रालय/विभाग द्वारा की गई अनुवर्ती कार्रवाई से अवगत करवाया गया था।

2. उल्लेखनीय है कि केंद्रीय हिंदी समिति का दिनांक 09.11.2021 को पुनर्गठन किया गया है और इसकी 32वीं बैठक माननीय प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में शीघ्र ही आयोजित की जानी है।

3. चूंकि उपर्युक्त अनुवर्ती कार्रवाई को अब 2 वर्ष हो चुके हैं, अतः आपसे अनुरोध है कि राजभाषा विभाग को 14.01.2022 तक अद्यतित अनुवर्ती कार्रवाई रिपोर्ट भेजने का कष्ट करें ताकि समयानुसार माननीय गृह मंत्री जी को समेकित अद्यतन कार्रवाई रिपोर्ट प्रस्तुत की जा सके।

शुभकामनाओं सहित

शुभेच्छु,

अं आर्या

(अंशुली आर्या)

JS(L)

संलग्नक : यथोक्त

श्री के॰ संजय मूर्ति
सचिव
शिक्षा मंत्रालय
उच्चतर शिक्षा विभाग
127-सी, शास्त्री भवन
नई दिल्ली-110001

JD(OL)

3/1/22
श्री बृजभान, परामर्शदाता

JS(S&S)

3/1/2022

फा.स. एच 11011-1/2019-रा.भा.ए.
भारत सरकार
मानव संसाधन विकास मंत्रालय
उच्चतर शिक्षा विभाग
राजभाषा प्रभाग
****

शास्त्री भवन, नई दिल्ली
दिनांक 10 जुलाई, 2019

सेवा में,

श्री रमेश अणियेरी,
निदेशक (नीति),
गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग,
चौथा तल, एनडीसीसी-2 भवन,
नई दिल्ली- 110011

विषय: राज्य सभा में दिनांक 17.07.2019 को पूछे जाने वाले अतारांकित प्रश्न संख्या - यू 2782 के बारे में सूचना।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर राजभाषा विभाग के दिनांक 08.07.2019 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 21012/04/2019-रा.भा.(नीति) के संदर्भ में माननीय सांसद डॉ. सत्यनारायण जटिया द्वारा राज्य सभा में दिनांक 17.07.2019 को पूछे जाने वाले अतारांकित प्रश्न संख्या यू 2782 के भाग (क) के बारे में सूचना अनुबंध -1 में दी गई है। प्रश्न के भाग (ख) का संबंध इस मंत्रालय से नहीं है। यह सूचना दिनांक 09.06.2019 को ईमेल द्वारा भी भेजी जा चुकी है।

इसे संयुक्त सचिव के अनुमोदन से जारी किया किया गया है।

कृते निदेशक (रा.भा.)

(3) 28

केंद्रीय हिंदी समिति की 31वीं बैठक पर शिक्षा मंत्रालय द्वारा भेजी गई अनुवर्ती कार्रवाई का ब्यौरा।

अनुबंध -1

राज्य सभा में डॉ. सत्य नारायण जटिया, संसद सदस्य द्वारा दिनांक 17.07.2019 को पूछे जाने वाले अतारांकित प्रश्न संख्या U2782 के भाग (क) बारे में सूचना।

क्रमसं.	मद संख्या	विषय	की गई कार्रवाई
1.	4.3	सभी राष्ट्रीय प्रशिक्षणों में हिंदी का प्रशिक्षण दिया जाए।	इन निर्णयों से मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले सभी कार्यालयों को अवगत कराया गया है।
2.	4.8	'क' क्षेत्र में अंग्रेजी को रोका जाए, हिंदी को बढ़ाया जाए।	मंत्रालय के अंतर्गत केंद्रीय हिंदी निदेशालय द्वारा हिंदी के प्रचार-प्रसार हेतु अनेकानेक कार्यक्रम/योजनाएं कार्यान्वित की जा रही है। साथ ही हिंदी के उपयोग को बढ़ाने के लिए निदेशालय के स्तर पर हर संभव आधुनिक तकनीक का सहारा लिया जा रहा है।
3.	6.1	महात्मा गांधी अन्तरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय, वर्धा अपने स्थापना काल से ही बहुत अच्छा कार्य कर रहा है। इसमें विभिन्न विभागों के पदों की कमी है उसे भरा जाए। इस संस्था को सुदृढ किया जाए।	मंत्रालय द्वारा इस बारे में विश्वविद्यालय को पत्र भेजे गए।
4.	6.2	अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय भोपाल में इंजीनियरी, चिकित्सा और तकनीकी विषयों पर हिंदी में प्रशिक्षण और अनुवाद के लिए समुचित पदों की व्यवस्था की जाए।	इस बारे में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग तथा अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद को लिखा गया है।
	6.3	केंद्रीय हिंदी निदेशालय में वर्ष 2007 से ही निदेशक का पद रिक्त है किसी को अतिरिक्त प्रभार दे दिया जाता है। इसे भरा जाए।	निदेशक केंद्रीय हिंदी निदेशालय के पद हेतु संशोधित भर्ती नियमावली को दिनांक 03.04.2019 को अधिसूचित किया गया है। भारतीय निर्वाचन आयोग की आदर्श आचरण संहिता के प्रचलन के कारण भर्ती नियमावली की अधिसूचना के बाद पद को तुरंत विज्ञापित नहीं किया जा सका। अब पद को भरने के लिए योग्य उम्मीदवारों से आवेदन आंमत्रित करते हुए रिक्ति को दिनांक 19.06.2019 को विभिन्न मंत्रालयों, विश्वविद्यालयों, राज्य सरकारों आदि में परिचालित कर दिया गया है।
6.	6.6	दसवीं कक्षा तक शिक्षा का माध्यम हिंदी या मातृभाषा में किया जाए।	इस बारे में स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग को लिखा गया है।

7.	7.1	वैज्ञानिक शोध हिंदी में करने के लिए प्रयास किए जाएं।	वैज्ञानिक शोध हिंदी में करने के संबंध में हिंदी भाषा में विज्ञान विषयों पर वैज्ञानिक संस्थानों द्वारा शोध पत्रिकाओं का प्रकाशन अनिवार्य करने एवं ऐसी शोध पत्रिकाओं को अन्य विदेशी भाषाओं के समकक्ष मान्यता देने बाबत् विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा अनुदानित केंद्रीय /राज्य/ मानित विश्वविद्यालयों को पत्र प्रेषित किए गए है। विश्वविद्यालयों द्वारा पुन: सूचना मंगवाने हेतु पत्र प्रेषित किए गए है।
8.	7.2	इंजीनियरी, मेडिकल आदि की हिंदी में मौलिक पुस्तकें लिखी जाए।	इस संबंध में अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (AICTE) को पत्र लिखा गया है।
9.	7.4	हिंदी संस्थाओं में जहां हिंदी से संबंधित पद रिक्त हैं, उन्हें अविलंब भरा जाए।	इस संबंध में मंत्रालय के अंतर्गत सभी कार्यालयों/ उच्च शिक्षण संस्थानों को लिखा गया है। मंत्रालय के अंतर्गत केंद्रीय हिंदी निदेशालय में 19 सहायक निदेशक के पदों को तदर्थ आधार पर भरा गया है, अन्य पदों के भरे जाने के संबंध में मामला प्रक्रियाधीन है।
10.	8.1	विश्वविद्यालयों में हिंदी के खाली पदों को भरा जाना चाहिए।	विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा अनुदानित केंद्रीय विश्वविद्यालयों के लिये हिंदी के तीन पदों (1 हिंदी अनुवादक, 1 हिंदी टंकण अनुवादक, 1 टंकक) की स्वीकृति प्रदान की गई है। समस्त केंद्रीय विश्वविद्यालयों में हिंदी प्रकोष्ठ स्थपित हैं। जिस विश्वविद्यालय में हिंदी प्रकोष्ठ का कोई पद रिक्त है तो उसे तुरंत भरने हेतु पत्र प्रेषित किया गया है।
11.	8.2	केंद्रीय - राज्य विश्वविद्यालयों में हिंदी प्रकोष्ठ खोले जाएं।	विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा अनुदानित समस्त केंद्रीय विश्वविद्यालयों में हिंदी प्रकोष्ठ स्थापित किये जा चुके हैं।
12.	8.3	हिंदी शोध का माध्यम हिंदी ही हो।	विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा हिंदी शोध का माध्यम हिंदी में ही हो के संबंध में आयोग द्वारा अनुदानित केंद्रीय/राज्य/ मानित विश्वविद्यालयों को पत्र प्रेषित किया गया है।
13.	8.4	नौवीं - दसवीं कक्षा में हिंदी अनिवार्य बनाई जाए।	इस बारे में स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग को लिखा गया है।

14.	8.5	महात्मा गांधी अन्तरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय, वर्धा की समस्याओं का समाधान किया जाए।	इस बारे में स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग को लिखा गया है।
15.	8.6	पूर्वोत्तर में हिंदी विश्वविद्यालय खोला जाए।	इस समय कोई नया केंद्रीय विश्वविद्यालय स्थापित किए जाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। इसके अतिरिक्त प्रत्येक उत्तर पूर्व राज्य में एक केंद्रीय विश्वविद्यालय पहले से स्थापित है।
16.	8.7	विभिन्न विषयों की पुस्तकें हिंदी में उपलब्ध कराई जाएं।	विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा विभिन्न विषयों की पुस्तकें हिंदी में उपलब्ध कराने के लिए सभी द्वारा अनुदानित केंद्रीय/राज्य/ मानित विश्वविद्यालयों को हिंदी माध्यम कार्यान्वयन निदेशालय स्थापित करने के लिए पत्र प्रेषित किए गए है।
17.	9.3	हिंदी के संवर्धन के लिए महात्मा गांधी की 150वीं जयंती वर्ष में अन्तरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय, वर्धा को 'हिंदी का अंतर विश्वविद्यालयी' केंद्र बनाया जाए।	मंत्रालय द्वारा इस संबंध में विश्व विद्यालय अनुदान आयोग को लिखा गया है।
18.	9.4	अन्तरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय, वर्धा के शिक्षण विभागों और प्रशासन के लिए यथाशीघ्र केंद्रीय विश्वविद्यालयों के अनुरूप पद एवं सुविधाएं प्रदान की जाएं।	
19.	9.5	1997 में स्थापित यह विश्वविद्यालय निरंतर उपेक्षित रहा है। कोश निमार्ण कार्य और अनेक परियोजनाओं की दृष्टि से इसके कार्यों को और भी संवर्धित किया जाए।	
20.	9.6	विगत 20 वर्षों में जो भी ग्रांट मिली है वह बहुत कम है इसे बढ़ाया जाए तथा विश्वविद्यालय की अपेक्षाओं पर ध्यान दिया जाए।	
21.	10.1	अहिंदी भाषी क्षेत्रों में सबसे अच्छी हिंदी कश्मीर की है। कश्मीरी लोग हिंदी पढ़ना चाहते हैं, लेकिन पढ़ाने वाले नहीं है। सभी जगह हिंदी विभाग नहीं है।	विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा अनुदानित केंद्रीय/राज्य/ मानित विश्वविद्यालयों से समय-समय पर हिंदी विभाग स्थापित एवं उन्नयन हेतु प्रस्ताव आमंत्रित किए जाते हैं।

22.	10.2	हिंदी का प्रयोग ग्रास-रूट लेवल पर होना चाहिए, स्कूलों में हिंदी के शिक्षक नहीं है।	इस बारे में स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग को लिखा गया है।
23.	10.5	सरकारी स्कूलों में हिंदी शिक्षक नहीं है।	इस बारे में स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग को लिखा गया है।
24.	11.1	विश्वविद्यालय में हिंदी के पद रिक्त हैं उन्हें शीघ्र भरा जाए।	विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा केंद्रीय विश्वविद्यालयों के लिए तीन पदों (1 हिंदी अनुवादक, 1 हिंदी टंकण अनुवादक, 1 टंकक) की स्वीकृति प्रदान की गई है। आयोग द्वारा अनुदानित समस्त केंद्रीय विश्वविद्यालयों में हिंदी प्रकोष्ठ स्थापित है। यदि किसी विश्वविद्यालय में हिंदी प्रकोष्ठ का कोई पद रिक्त है तो उसे तुरंत भरने हेतु लिखा गया है।
25.	12.1	हिंदी के लिए देश में ज्यादा कार्य होना चाहिए।	मंत्रालय के अंतर्गत केंद्रीय हिंदी निदेशालय का संबंध है हिंदी के प्रचार-प्रसार एवं संवर्धन से जुड़े दायित्वों का पालन करते हुए अनेक महत्वपर्ण कार्यक्रमों को कार्यान्वित किया जा रहा है, जैसे 1- कोश निर्माण 2- पत्राचार-पाठ्यक्रम 3- प्रतिपूरक शैक्षिक साम्रगी का निर्माण 4- देवनागरी लिपि तथा हिंदी वर्तनी का मानकीकरण 5- हिंदी के प्रचार-प्रसार के लिए स्वैच्छिक हिंदी संस्थाओं को वित्तयी सहायता 6- भाषा/वार्षिकी/साहित्यमाला का प्रकाशन 7- हिंदीतर भाषी हिंदी प्रेमियों, विद्वानों, लेखकों, शोधार्थियों, विद्यार्थियों, प्राध्यापकों और अनुवादकों को सहयोजित करने का विस्तार कार्यक्रम 8- हिंदी भाषा में लेखन-प्रवृति को बढ़ावा देने हेतु हिंदीतरभाषी हिंदी लेखक पुरस्कार तथा हिंदी में 'शिक्षा' विषय पर मौलिक लेखन हेतु 'शिक्षा पुरस्कार' 9- हिंदी पुस्तकों का नि:शुल्क वितरण 10- पुस्तक प्रदर्शनी एवं बिक्री।
26.	12.2	विशेषज्ञ समिति बनाकर 'ग' क्षेत्र में हिंदी की पढ़ाई को बढ़ाया जाए।	विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा अनुदानित 'ग' क्षेत्र के केंद्रीय/राज्य/मानित विश्वविद्यालयों से भी समय-समय पर हिंदी विभाग की स्थापना एव उन्नयन हेतु प्रस्ताव आमंत्रित किए जा रहे हैं। तत्पश्चात् विश्वविद्यालयों द्वारा प्रस्ताव प्राप्त होने पर उचित कार्यवाही की जाएगी।

27.	12.3	हिंदी भाषा, भाषा के साथ-साथ लिपि के संकट से गुजर रही है। हिंदी भाषा को देवनागरी लिपि में ही लिखा जाए।	हिंदी का मानक रूप निर्धारित करने के क्रम में हिंदी की वर्णमाला में सर्वत्र एकरूपता हेतु एवं आधुनिक यंत्रों (कंप्यूटर इत्यादि) के उपयोग में लिपि की अनेकरूपता बाधा न हो इस परिपेक्ष्य में निदेशालय द्वारा देश के शीर्षस्थ विद्वानों के साथ वर्षों के विचार-विमर्शके पश्चात् हिंदी वर्णमाला तथा अंकों का मानक रूप निर्धारित करते हुए देवनागरी लिपि तथा वर्तनी का मानकीकरण नामक पुस्तिका का प्रकाशन किया गया है।
28.	12.4	उड़ीसा में संस्कृत की पढ़ाई उड़िया लिपि के माध्यम से होती है। यह उचित नहीं है। लिपि भाषा को मूल रूप में जीवित रखती है।	इस बारे में स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग को लिखा गया है।
29.	13.1	हिंदी के साथ-साथ भारतीय भाषाओं के विकास पर भी ध्यान दिया जाए।	मंत्रालय के अंतर्गत केंद्रीय हिंदी निदेशालय द्वारा भारतीय भाषाओं के विकास को ध्यान में रखते हुए भारतीय संविधानकी आठवीं अनुसूची में उल्लिखित 22 भाषाओं के 'भारतीय भाषा कोश' के निर्माण कार्य के साथ-साथ त्रिभाषा कोश / द्विभाषा कोश / एक भाषा कोश/ स्वयं शिक्षक/वार्तालाप पुस्तिकाएं भी प्रकाशित की जा रही हैं। इसके अतिरिक्त हिंदीतर भारतीय भाषाओं को देवनागरी लिपि में भी लिखा जा सके इस क्रम में परिवर्धित देवनागरी वर्णमाला के लिए विशेषक चिह्न तय किए गए हैं।
30.	14.2	मंत्रालयों और संस्थानों में हिंदी के पद रिक्त हैं यह भी विषय रहा है।	इन निर्णयों से मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले सभी कार्यालयों को अवगत कराया गया है।
31.	14.6	दूसरी भाषाओं के अच्छे शब्दों को हिंदी में ग्रहण करें।	मंत्रालय के अंतर्गत केंद्रीय हिंदी निदेशालय द्वारा दूसरी भाषाओं एवं भारतीय भाषाओं के अनेक शब्दों को निदेशालय की कोश निर्माण योजना में निर्माणधीन कोश- हिंदी व्युत्पत्ति कोश, विदेशी भाषा कोश । (पडोसी देश एवं संयुक्त राष्ट्रभाषा कोश) क्षेत्रीय भाषा कोशों में सम्मिलित किया जा रहा है। देश की भाषाओं से हिंदी को समृद्ध किए जाने के प्रयासों में निदेशालय की कोश निर्माण योजना की महती भूमिका है।
32.	14.7	दूसरी भारतीय भाषाओं से दस-दस अच्छे शब्दों को खोज कर हिंदी भाषा में जोड़ें।	
33.	14.12	देश की भाषाओं से हिंदी को कैसे और समृद्ध किया जा सकता है उसके उपाय किए जाएं।	